आरक्षण नीति और दलितों का सशक्तिकरण

1. प्रस्तावना

भारतीय समाज परंपरागत रूप से **जातिगत असमानताओं** पर आधारित रहा है। दलितों को ऐतिहासिक रूप से अस्पृश्यता, भेदभाव और शोषण का सामना करना पड़ा। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान ने सामाजिक न्याय के सिद्धांत को अपनाया और **आरक्षण नीति** के माध्यम से दलितों को समान अवसर प्रदान करने का प्रयास किया। यह नीति केवल *प्रतिपूर्ति* नहीं बल्कि *सशक्तिकरण* का साधन भी है।

---

2. आरक्षण नीति का संवैधानिक आधार

- **अनुच्छेद 15(4)** – राज्य सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है।
- **अनुच्छेद 16(4)** – सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण।
- **अनुच्छेद 46** – अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की शिक्षा और आर्थिक हितों की रक्षा।
- **अनुच्छेद 330–334** – संसद और विधानसभाओं में आरक्षित सीटें।
- **अनुच्छेद 338** – राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग।

---

3. दलित सशक्तिकरण के साधन

1. **शैक्षिक सशक्तिकरण** – शिक्षा संस्थानों में आरक्षण से उच्च शिक्षा और प्रोफेशनल क्षेत्रों तक पहुंच।
2. **राजनीतिक सशक्तिकरण** – पंचायत, विधानसभा और संसद में आरक्षित सीटें दलितों की राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करती हैं।
3. **आर्थिक सशक्तिकरण** – सरकारी नौकरियों और योजनाओं के माध्यम से आजीविका और आर्थिक सुरक्षा।
4. **सामाजिक सशक्तिकरण** – जातिगत दमन से मुक्ति और सम्मानजनक सामाजिक पहचान।

---

4. समाजशास्त्रियों के दृष्टिकोण

- **डॉ. भीमराव अंबेडकर** – आरक्षण को दलितों की *"सामाजिक व आर्थिक न्याय"* का साधन बताया। उनका मानना था कि बिना राज्य-सहायता दलित मुख्यधारा में नहीं आ सकते।
- **M.N. श्रीनिवास** – *संस्कृतिकरण (Sanskritisation)* की प्रक्रिया से दलितों ने सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने का प्रयास किया, परंतु वास्तविक सशक्तिकरण राज्य के हस्तक्षेप (आरक्षण नीति) से ही संभव हुआ।
- **गेल ओमवेड्ट (Gail Omvedt)** – दलित आन्दोलन और आरक्षण नीति को भारतीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा सामाजिक परिवर्तनकारी कदम माना।
- **आंद्रे बेटाइले (André Béteille)** – आरक्षण नीति को सामाजिक समानता की दिशा में आवश्यक लेकिन आंशिक उपाय बताया।

---

5. उपलब्धियाँ

- दलितों की शिक्षा दर में वृद्धि।
- उच्च प्रशासनिक पदों, राजनीति और प्रोफेशनल क्षेत्रों में दलित प्रतिनिधित्व।
- समाज में अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के खिलाफ कानूनी संरक्षण।
- दलित मध्यम वर्ग का उदय।

---

6. चुनौतियाँ

- आरक्षण का लाभ अधिकतर *दलित मध्यम वर्ग* तक सीमित होना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी सामाजिक भेदभाव और हिंसा का बने रहना।
- निजी क्षेत्र में आरक्षण की अनुपस्थिति।
- दलित महिलाओं की दोहरी वंचना – जाति और लिंग दोनों के आधार पर।

---

7. निष्कर्ष

आरक्षण नीति ने दलितों को **शिक्षा, राजनीति और रोजगार** में अवसर प्रदान कर सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में ठोस कदम उठाया है। हालांकि चुनौतियाँ शेष हैं, फिर भी यह नीति दलितों के **सशक्तिकरण (Empowerment)** और **भारतीय लोकतंत्र के गहन लोकतंत्रीकरण** का महत्वपूर्ण आधार बनी हुई है।